

फर्द अहकाम

छोटू बनाम गोपाल व अन्य

115/2025

आज्ञा विस्तृत रूप से

पत्र

दिनांक

विशेष
विवरण

13.05.2025

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किया जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 22/6/25 को पेश हो।

नोटिस जारी
1135-1186
19/5/25

उपखण्ड अधिकारी
सांगानेर, जयपुर (द्वितीय)

23/6/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण व वकील अप्रार्थीगण अनुपस्थित। न्यायालय समय में वकील प्रार्थी व अप्रार्थी को बार-बार आवाज लगावाई गई। उनकी ओर से कोई उपस्थित आया नहीं प्रार्थी व अप्रार्थी पत्र अर्थात् हाजिरी अफस पैरवी में खासियत विन्यास प्राप्त है। पत्रावली दर्ज नम्बर से लम्बे दौकर बाद वकील दाखिल हुए हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)